

# EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 177] No. 177] नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

#### शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

# अधिसचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

का.आ. 273(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनयम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 2 नवम्बर, 2007 की सं. का.आ. 1862(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में केवल एक आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ था। यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

#### संशोधन :

जोन ''एफ'' में 2.21 हेक्टेयर (5.25 एकड़) माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया गया है :-

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाए
1	2	3	4	5
जोन ''एफ'' में आर. के. पुरम, सेक्टर-II	2.21 हेक्टेयर (5.25 एकड़)	मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क)	आवासीय	पूर्वोत्तर: सेंट थामस चर्च, सेंट थामस स्कूल और केन्द्रीय विद्यालय पूर्व: 45 मी. चौड़ा अफ्रिका एवेन्यू दक्षिण: पूर्व-सैक्टर-II, आर. के. पुरम के मौजूदा आवासीय क्वाटर्स दक्षिण-पश्चिम: अयप्पा मेंदिर

[फा. सं. के-13011/10/2006-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

#### (Delhi Division)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2008

- S.O. 273(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as public Notice vide S.O. No. 1862(E) dated 2nd November, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas only one objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

#### **Modification:**

The land use of the following area measuring 2.21 ha.(5.25 acres) of land in Zone F is changed as per description listed below:—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
R.K. Puram, Sector-II Zone-F	2.21 ha. (5.25 acres)	'Recreational' (District Park)	'Residential'	North-East: St. Thomas Church, St. Thomas School and Kendriya Vidyalaya East: 45 m wide Africa Avenue South-East: Existing Residential Quarters of Type-IV, R.K. Puram, Sector-II South-West: Ayyappa Temple

[F. No. K-13011/10/2006-DDIB] P. K. SANTRA, Under Secy.